सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

फॉलोअप केम्प पंचायत समिति डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2018/193 दायरा दिनांक 13.06.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. रघुनाथसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 31 वर्ष जाति राजपूत निवासी कलवानी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मनोहरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 28 वर्ष 2. कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 23 वर्ष 3. कैलाशकंवर पत्नि उम्मेदसिंह उम्र 57 वर्ष 4. सन्तोषकंवर पुत्री उम्मेदसिंह उम्र 42 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी कलवानी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 5. मुकेशकंवर पुत्री श्री सुरेशसिंह उम्र 23 वर्ष 6. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुरेशसिंह उम्र 21 वर्ष 7. सन्दीपसिंह पुत्र श्री सुरेशसिंह उम्र 19 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी रिंजाणी तहसील/जिला – झुन्झुनू राजस्थान। 8. उगमसिंह पुत्र श्री मूलसिंह दत्तक पुत्र गुदडसिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी कलवानी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार भाकर उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं0 01, ता 08 की और से अधिवक्ता श्री हरफूल राव उपस्थित ।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 30.05.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत ख. न. 54 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा ख. न. 57 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा ख. न. 275 रकबा 16 बीघा वाके सरहद ग्राम कलवानी में अवस्थित है।जिसकी खतौनी वाद के साथ पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपर वर्णित खेत खेत खसरा नम्बरान की भूमि में 1/2 भाग पर उगमकंवर बैवा रूपसिंह का नाम दर्ज हो रखा है इनका स्वर्गवास दिनाकं 31.03.2009 को हो चुका है। जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र दावें के साथ पेश है।

स्व. उम्मेदसिंह रूपसिंह के गोद पुत्र होने के कारण उक्त जायगा में स्व. उम्मेदसिंह के वारिशान वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 का हक हिस्सा है व उक्त वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के नाम घोषित की जावे व उक्त कृषि भूमियो में से खतौनी में दर्ज उगमकंवर बैवा रूपसिंह का नाम 1/2 हिस्से में से हटाया जावे।

उपरौक्त खतौनी में उगमकंवर बैवा रूपसिंह का नाम गलत रूप से दर्ज होने के कारण उक्त वाद बाबत घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि

वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत ख. न. 54 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा ख. न. 57 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा ख. न. 275 रकबा 16 बीघा वाके सरहद ग्राम कलवानी में अवस्थित है। जिनका वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 के नाम दर्ज की जावे व उपर वर्णित कृषि भूमियो में से उगमकंवर बैवा रूपसिंह का नाम 1/2 हिस्से में से हटाया जावे।तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर उपर वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमियो में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 को खातेदार घोषित किया जावें।

माफिक वाद–पत्र वादी व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी के हक बन्ट कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखल बैचाण गिरवीनामा आदि करे, न ही किसी अन्य से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

दिनाकं 30.06.2018 को प्रतिवादी संख्या 01 व 08 की और से अधिवक्ता श्री हरफुलराव ने ईकबालिया जबाब पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

—: आदेश :—

हस्व दावा आशिंक रूप से डिक्री सादिर कर, मौजा कलवानी की शरहद में खेत ख. न. 54 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा ख. न. 57 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा ख. न. 275 रकबा 16 बीघा की खातेदारी बाबत स्व. उम्मेदखॉ के वारिसान की जॉच कर विधिवत नामान्तरणकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिकरी पर्चा भरा जाकर तहसीलदार डीडवाना को तहरीर जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **30.06.2018** को फॉलोअप कोर्ट कैम्प पंचायत समिति डीडवाना में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
फॉलोअप केम्प पंचायत समिति डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/193** दायरा दिनांक **13.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रघुनाथसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 31 वर्ष जाति राजपूत निवासी कलवानी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. मनोहरसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 28 वर्ष 2. कानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 23 वर्ष 3. कैलाशकंवर पत्नि उम्मेदसिंह उम्र 57 वर्ष 4. सन्तोषकंवर पुत्री उम्मेदसिंह उम्र 42 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी कलवानी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 5. मुकेशकंवर पुत्री श्री सुरेशसिंह उम्र 23 वर्ष 6. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री सुरेशसिंह उम्र 21 वर्ष 7. सन्दीपसिंह पुत्र श्री सुरेशसिंह उम्र 19 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी रिंजाणी तहसील/जिला – झुन्झुनू राजस्थान। 8. उगमसिंह पुत्र श्री मूलसिंह दत्तक पुत्र गुदडसिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी कलवानी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा ।

दिनांक 30.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई वादी की और से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार भाकर उपस्थित व प्रतिवादीगण सं0 01, ता 08 की और से अधिवक्ता श्री हरफूल राव उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि–

हस्व दावा आशिंक रूप से डिक्री सादिर कर, मौजा कलवानी की शरहद में खेत ख. न. 54 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा ख. न. 57 रकबा 09 बीघा 10 बिस्वा ख. न. 275 रकबा 16 बीघा की खातेदारी बाबत स्व. उम्मेदखॉ के वारिसान की जॉच कर विधिवत नामान्तरणकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार डीडवाना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................
..–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.06..2018** को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			थ्मजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner